न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 148/2021 अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
राणपुरी चेला हीरपुरी जाति स्वामी, निवासी स्वामी का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तमाचीराम पुत्र नेहचलराम के कायम मुकाम 1.1 धूड़ीदेवी पत्नी तमाचीराम 1.2 सरूपाराम पुत्र तमाचीराम 1.3 रामाराम उर्फ रमेशचन्द्र पुत्र तमाचीराम 2. दुर्गाराम पुत्र नेहचलराम 3. रतनाराम पुत्र नेहचलराम 4. लूणाराम पुत्र नेहचलराम जाति गरूड़ा, निवासी स्वामी का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक शाखा शिव 6. तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री अभयसिंह राठौड़।
2. विप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम – श्री ईश्वरसिंह भाटी।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 26.07.2023

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल स्वामी का गांव के ग्राम आंतरा के खेत खसरा नम्बर 163, 240/57, 241/57 रकबा क्रमशः 4.2492, 1.6997, 2.9461 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	राणपुरी चेला हीरपूरी कौम स्वामी सा. स्वामी का गांव खातेदार	आंतरा	241/57	2.9461	बा.दो.		हरा
			240/57	0.5301	बा.दो.		
			163	0.9713	बा.दो		
			3	4.4475	बा.दो		
2	दुर्गाराम 1/4, रतनाराम 1/4, लूणाराम 1/4 पि0 नेहचलराम धूड़ीदेवी 1/12, रमेशचन्द्र 1/12, स्वरूपाराम 1/12 पि0 तमाचीराम कौम गरूड़ा सा. स्वामी का गांव खातेदार	आंतरा	163	3.2779	बा.दो.		
			240/57	1.1696	बा.दो.		
			2	4.4475	बा.दो.		

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।

न्यायालय सहायक कलक्टर शिव जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 26.07.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner